



प्रेस विज्ञप्ति

04.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने सार्वजनिक दान के व्यवस्थित परिवर्तन, व्यापक नकदी आधारित आपराधिक गतिविधियों, संदिग्ध विदेशी संघों और कट्टरपंथीकरण के संकेत देने वाले आचरण और गैरकानूनी नेटवर्क में शामिल होने से उत्पन्न धन शोधन के अपराध में शामिल होने के लिए अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (एईटी), बीकानेर के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादीक उर्फ सादिक खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद मामला माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, जयपुर के समक्ष 04.12.2025 को प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर ने मोहम्मद सादीक को 3 दिनों (06.12.2025 तक) के लिए आगे की जांच हेतु ईडी हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद सादीक कट्टरपंथी गतिविधियों, दावा गतिविधि और जबरन धर्म परिवर्तन, विभिन्न विदेशी कट्टरपंथी संगठनों के साथ संबंध और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन में शामिल था। पुलिस की एफआईआर और आरोपपत्र में आरोपी द्वारा हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के उपयोग के आरोप भी हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का गठन मोहम्मद सादीक ने किया था, जो मस्जिद-ए-आयशा का प्रबंधन करता है और इस ट्रस्ट के लिए और इसके माध्यम से नियमित रूप से पर्याप्त सार्वजनिक दान एकत्र करता था, मुख्य रूप से नकद में, बिना किसी वित्तीय रिकॉर्ड के रखने के। धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ उपयोग के लिए एकत्र किए गए दान को कथित तौर पर मोहम्मद सादीक द्वारा अपने एकमात्र, बिना दस्तावेजी नियंत्रण के तहत पूरी तरह से नकद में रखा गया था। जांच से संकेत मिलता है कि ये बेहिसाब नकद संग्रह धन का प्राथमिक स्रोत बन गया, जिसे उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोड़ दिया और कई तरह की अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए तैनात किया, जिसमें बार-बार विदेश यात्राएं करना और विदेशों में प्रतिबंधित और कट्टरपंथी संगठनों से मिलना और अपने कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है। उसकी विदेश यात्राओं की जांच से पता चलता है कि सादीक ने बिना किसी वैध वित्तीय निशान के, बिना सत्यापित नकद धन का उपयोग करके बांग्लादेश, नेपाल, कतर और ओमान की कई यात्राएं कीं। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान, उसने एक मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ वैद्य के साथ मिलकर काम किया, जिसे बाद में मध्य प्रदेश एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था।

आगे की जाँच से यह पता चला है कि सादीक के पास कई वर्षों से आय का कोई वैध या सुसंगत स्रोत नहीं था और वह जुआ, अवैध शराब के व्यापार और अवैध देशी हथियारों के संदिग्ध सौदों सहित अवैध

नकद-आधारित कार्यों पर निर्भर था। इन आपराधिक गतिविधियों और गबन किए गए दान के बीच संबंध को स्थानीय पुलिस द्वारा पहले से ही आरोप पत्र में शामिल एक मामले में उससे और उसके सहयोगियों से बरामद तीन देशी हथियारों और जिंदा कारतूसों से और भी बल मिलता है। इस प्रकार धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के मुखौटे का उपयोग सादीक द्वारा जानबूझकर बेहिसाब, गुप्त और आपराधिक कार्यों के गहरे नेटवर्क को छिपाने के लिए किया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि सदीक जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी/जेयूएम) के सदस्यों से मिला और भारत लौटने के बाद भी उनसे संपर्क बनाए रखा। उसे जेएमबी से जुड़े लोगों ने आगे की बैठकों के लिए नेपाल जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया और कथित तौर पर आगे सीरिया की यात्रा करने का इरादा था ताकि संघर्ष क्षेत्रों तक पहुंच सके, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। जांच में व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो की भी जांच की गई जिसमें उसे एक भड़काऊ भाषण का जिम्मेदार ठहराया गया जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के जानबूझकर इरादे से बनाया गया था।

जांच में यह भी पता चला है कि उनकी देखरेख में सार्वजनिक सभाओं में विदेशी देश के झंडे जलाए गए थे और उन्होंने भावनाओं को भड़काने, धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने और सार्वजनिक गुस्से को व्यक्तिगत वित्तीय लाभ में बदलने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देकर नकद दान जुटाया था।

मोहम्मद सादीक की गिरफ्तारी एक छाया वित्तीय संचालन नेटवर्क, संदिग्ध कट्टरपंथी प्रभावों और धर्मार्थ और धार्मिक कार्यों के बहाने संचालित अवैध गतिविधियों को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगे की जांच जारी है।
